Golden Research Thoughts
Vol -1 , ISSUE –1, July - 2011
ISSN:- 2231-5063

ORIGINAL ARTICLE

कन्या भ्रूण हत्या एक कूर अपराध

डॉ. फरहत खान, सुश्री अरूणा सेठी
शोधार्थी[1] , विक्रम वि.वि. ,उज्जैन, म. प्र.
सहायक प्राध्यापक[2], माधव विधि महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, उज्जैन, म. प्र.

प्रस्तावना :

भारतीय समाज में महिला को देवी, माता, माँ जैसे पवित्र शब्दों से विभूषित किया जाता रहा है :-

‘‘या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां
नमस्तस्यै, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ।।‘‘
– श्री दुर्गा सप्तशती

जहॉं नारियों की पूजा होती है, वहॉं देवताओं का निवास होता है ।

‘‘यत्र नार्मस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता :‘‘
माता का स्थान पिता से उॅंचा माना गया है ।
प्रातःकाल उठिके रघुनाथ । माता पिता गुरू नावहि माथा
जो केवल पितु आयसु ताता । तो जानि जाहु जाति बड़ी माता ।
– श्री रामचरित मानस

विश्व में मातृशक्ति से अधिक कोई भी वन्दनीय नहीं है । परिवार मे प्रेम, वात्सल्य, ममता, अनुराग की प्रतिमूर्ति तथा गृहस्थ जीवन को सफलतापूर्व संचालित करने वाली शक्ति का नाम ही महिला है । स्त्रियों के बिना न तो गृहस्थ जीवन की गाड़ी चल सकती है और न ही पुरूष की उत्पत्ति हो सकती है । यद्यपि शारीरिक बल में वह पुरूष की तुलना में कमजोर है । फिर भी आत्मीक, नैतिक एवं मनोबल में वह पुरूष से श्रेष्ठ है । इन सभी विशेषताओं के रहते हुए भी भारत के प्रत्येक राज्य, शहर, कस्बे व गॉव में घर के अन्दर व बाहर उसके साथ भेदभाव, लैंगिक विषमता, घरेलू हिंसा, यौन शोषण व समान संवेधानिक अधिकारों का न मिल पाना एक विडम्बना ही है ।

महिलाएँ प्राचीन काल से ही सभी समाजों में अपमानित एवं तिरस्कृत भी हैं । किन्तु अनेक विद्वानों एवं समाज सुधारकों ने उन्हें हीन स्थिति से उबारने के लिए समय-समय पर अनेक सुधार आंदोलन चलाए हैं व उनके कल्याण हेतु प्रयास किये हैं ।

वर्तमान समय में महिला जिस हीन स्थिति से गुजर रही है उसमें सुधार हेतु उसे स्वयं जागरूक होने की ज्यादा जरूरत है । जिस दशा से वह गुजर रही है, कन्या भ्रूण हत्या की समस्या । इतिहास गवाह है कि पुरूष ने हमैशा से ही महिलाओं का शोषण व अत्याचार किया है । राष्ट्रीय

अपराध अभिलेख ब्यूरो के ऑकड़ों पर नजर डालें तो (एन.सी.आर.बी.) यह बात स्पष्ट हो जाती है । सन् २००६ के ये ऑकड़े दर्शाते हैं कि :-

- हर चौथे मिनट पर एक महिला का उत्पीड़न
- हर पन्द्रह मिनट पर एक महिला से छेड़छाड़
- हर तिरेपन मिनट पर एक यौन उत्पीड़न
- हर नौ मिनट पर पति या संबंधी से उत्पीड़न
- हर सितोत्तर मिनट पर एक दहेज हत्या
- हर उनतीस मिनट पर एक बलात्कार
- हर साल पॉच लाख कन्या भ्रूण हत्याऐं होती है ।

इस रिपोर्ट का कहना है कि, पिछले सालों देशों में नारी उत्पीड़न के १.५५ लाख मामले दर्ज हुए हैं जो कुल दर्ज अपराधों में १४ फीसदी से ज्यादा थे । यह हालात तब है जब पिछले दो दशकों से महिला उत्पीड़न रोकने के लिए अनेक कानून बने हैं ।

लेकिन घर के भीतर महिला उत्पीड़न के मामलों में ‘‘कन्या भ्रूण हत्या‘‘ करवाने के लिए मानसिक एवं भावनात्मक उत्पीड़न भी होने लगा है । बात-बात पर ताने देना, लड़का नहीं होने पर छोड़े जाने की या तलाक की धमकी देना यह भी उत्पीड़न ही है । घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, २००५ में बेटा पैदा करने के लिए दबाव डालना भी उत्पीड़न माना गया है ।

पिछले कुछ सालों से जब से लिंग परीक्षण की तकनीक अस्तित्व में आई हैं । कन्यााओं की भ्रूण में हत्या करना अब आम बात हो गई है । यह समस्या केवल एक बुराई मानी जाती है । कोई अपराध नहीं । किसी भी तरह की हत्या एक अपराध ही मानी जाती है । लेकिन जब एक लड़की की हत्या गर्भ में कर दी जाती है तो यह एक सामाजिक व्याधी बन जाती है ।

लड़कियों को बोझ मानकर उन्हें जन्म से ही पूर्व ही खत्म कर देने वाले इलाकों में इसका असर दिख रहा है । दस्यु और बीहड़ों के लिए पहचाने जाने वाले चम्बल अंचल में बेटियों को देवी भले ही माना जाता लेकिन इन्हीं बेटियों को पैदा होते ही मौत के घाट उतार दिया जाता है या उनकी गर्भ मे ही हत्या कर दी जाती है । भिण्ड जिले का किशनपुरा हो या मुरैना जिले का अरदौनी । ऐसे सैकड़ों गॉव है जहॉ ऑगनवाड़ीयों से लेकर स्कूलों तक में लड़कियॉ इक्का-दुक्का ही नजर आती है । यही नहीं मैदान में खेलते लड़के और बाजारों में खेलों में काम करते युवक लड़के व लड़की के घटते लिंगानुपात को खुद ब खुद बयान करते है।

भिण्ड में प्रति हजार लड़कों पर ८३२ और मुरैना में ८३७ लड़कियॉ दर्ज है । भिण्ड के गोद्ध और मैह गॉव विकास खण्ड के ऑकड़े सबसे ज्यादा चिंताजनक है । इस गॉव में पॉच वर्ष तक की उम्र के ८५ लड़कों पर मात्र २३ लड़कियॉ है । यानि यहॉ का लिंगानुपात २८०/१००० है ।

मध्यप्रदेश के इन इलाकों में तो प्रकृति के पूरे संतुलन को ही तहस-नहस कर दिया गया है । इस अप्राकृतिक अपराध को गरीब-अमीर सभी बराबरी के अंजाम देते हैं । आर्थिक तौर पर सक्षम परिवार चोरी छिपे गर्भपात करा देते हैं लेकिन कई लोग अभी भी बड़ी क्रूरता से व निर्ममता में उसी बच्ची की मॉ व दादी का हाथ होता है । बच्चीयों को पैदा होने पर घर की ही महिलायें उसके मुॅह में तम्बाकू अथवा अफीम रखकर उसकी हत्या कर देती है । कई बार तो प्रसूता की खाट का पाया बच्ची के पेट के उपर रखकर उसे मार दिया जाता है । इतना ही नहीं कई बार अस्पताल अथवा नर्सिंग होम से लौटते समय भी नवजात कन्या को किसी कुॅऐं में अथवा सुनसान क्षेत्र में फेंकने की घटनाऐं भी इन इलाकों में सामने आई है । ब्राहमण, ठाकुर और गुर्जर इस काम को ज्यादा करते है और वे ही अब कन्या भ्रूण हत्या के परिणाम भी भुगत रहे हैं । अपने जवान बेटों की शादी की चिंता इन्हें आये दिन सताती है ।

कन्या भ्रूण हत्या जैसे अनैतिक एवं क्रूर अपराध की संख्या बढ़ने की सबसे बड़ी वजह अल्ट्रा सोनोग्राफी है । कई सेन्टरों को बन्द करवा देने पर भी राजनैतिक सॉठगॉठ के चलते फिर खुलवा दिये जाते हैं ।

उच्च वर्ग में पुरूषप्रधान समाज होन के कारण महिलाओं की हर हद घर की देहरी ही होती है । साथ ही बेटी होने पर उसके दहेज में मोटी रकम देने और बेटी के खातिर उसके ससुराल वालों को सामने से झुकाने से बचने की खातिर पुरूषों के दबाव मे बेटियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है । समाजशास्त्री भी इसे अप्राकृति मानते हैं । यह प्रकृति के साथ उसके संतुलन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है ।

समाजशास्त्र डॉ. विमलेन्द्रसिंह राठौड़ के अनुसार –'यह असंतुलन पूरे सामाजिक ढॉचे को तहस–नहस कर देगा ।''

जहॉ कहीं भी महिला परिवार के संचालन में निर्णायक की भूमिका अदा करती है वहॉ यह समस्या कतई नहीं होगी । कन्या की भ्रूण हत्या व पुरूष परिवार के मुख्यिा के दबाव में करती है । क्योंकि उसे घर से निकाले जाने, छोड़े जाने, मारे जाने, उपेक्षा तथा तलाक का भय सताता है ।

दलितों व पिछड़े वर्ग के परिवारों में जहॉ घर की महिलाऐं पूरूष के कंधे से कंधा मिलाकर परिवार का खर्च चलाने में मदद करती है, वहॉ बेटियॉ बोझ नहीं समझी जाती । आदिवासी बहुल इलाकों में भी लड़की को लड़के वाले पैसा देकर ब्याह रचाते हैं । इसलिए वहॉ भी बेटियॉ बोझ नहीं होती है ।

लड़कियों की घटती संख्या इस बात की गवाह है कि कन्याओं की भ्रूण मे हत्या की घटना तेजी से बढ़ती जा रही है जिसके गंभीर परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ेंगे । अनेक परिवारों में लड़कों को शादी के लिए लड़कियॉ नहीं मिल पा रही हैं । जैन धर्मावलम्बी जो अहिंसा के समर्थक के रूप में माने जाते हैं । उन्ही के समाज में कई लड़के वाले लड़की वालों को मोटी रकम देकर शादी करने को मजबूर हैं । अनेक युवक कुॅवारे ही अधेड़ हो चुके हैं । बिचौलियों के माध्यम से मोटी रकम देकर शादी रचाने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है । जाहिर है भविष्य में लड़कियों की संख्या घटने पर अपहरण, बलात्कार, व्यभिचार और शोषण जैसे अपराध काफी बढ़ जाऐंगे । हालात दिन–ब–दिन और बदतर हो रहे हैं । इस अनैतिक, अवांछित, अप्राकृतिक एवं घृणित कार्य पर तुरन्त कमान नहीं कसी गई तो और गंभीर परिणामों व समस्याओं का सामना करना पड़ेगा । शासन स्वयंसेवी संगठनों की मदद से ''बेटी बचाओ'' अभियान भले ही चला रहा हो, लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी के केन्द्र छोटे–छोटे कस्बों तक में खुल जाने से बेटियों को बोझ समझने वालों को तो आसानी हो गयी है । पहले यह जॉच ५०० रूपए में हो जाती थी पर भ्रूण लिंग जॉच पर रोक के चलते चोरी छिपे जॉच के लिए ५ से दस हजार रूपए वसूले जाते हैं और जब से प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू की है तब से प्रसूताओं का अस्पताल में आना कम हो गया हैं । कन्या के गर्भ में होने की स्थिति में आज लोग आसपास के शहरों में जाकर गर्भपात करवाने लगे हैं । म.प्र. के रतलाम व धामनोद शहरों में मिली हड्डियॉ इस बात की साक्ष्य है तथा कन्या भ्रूण हत्या या अनैतिक गर्भपात का नतीजा है । इन अस्पतालों के प्रशासक तो यही कहते हैं कि अवैध गर्भपात और कन्या भ्रूण या कन्या शिशु हत्या जैसे कोई गतिविधि उनके यहॉ नहीं होती ।

समाज में प्रचलित दहेज प्रथा और थोथे सामाजिक मापदंड आखिर इन सबका खामियाजा तो पैदा न हो सकने वाली कन्याओं और होश तक न संभाल पाने वाली बेटियों को ही भुगतना पड़ रहा है । एकांकी परिवारों में बढ़ती प्रवृत्ति ने भी इस समस्या को काफी तक बढ़ाने में मदद की है । वर्तमान समय में एकांकी परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण परिवारों का आकार अत्यन्त छोटा होता जा रहा है । इसी छोटे परिवार में पुत्र की लालसा, पुत्री की अपेक्षा अधिक रहती है । यही कारण है कि इस अप्राकृतिक कृत्य के द्वारा अबोध बालिकाओं को जन्म के पूर्व ही मृत्यु की गोद में सुला दिया जाता है ।

महिलाऐं सामाजिक संरचना की पृष्ठभूमि है । इनकी सहनशक्ति एवं उदार भावना समस्त सृष्टि को आकर्षित करती है । माँ, बहन एवं पत्नी के रूप में जो ईश्वरीय भूमिका इन्हें प्रदान की गई है वह समाज में सामंजस्य पारिवारीक संरचना की परम आवश्यकता है । किसी भी प्रकार का दिग्भ्रम एवं अव्यवहारिक आचरण, पारिवारीक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए सुखद नहीं हो सकता । समाज में प्रचलित रीति एवं कुरीति सामाजिक विकास और विनाश से जुड़े प्रश्न होते है।

प्राचीन काल से हमारे समाज में कई कु–प्रथाऐं प्रचलित थी । हमैशा से ही पुरूष नारी पर अधिशासी रही है । सीता को उसका सतीत्व व शुद्धता साबित करने के लिए अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ा और जो सिद्धान्त व आदर्श उस समय भगवान राम ने स्थापित किये थे । उन पर कभी भी बहस नहीं की गई और महिला को अनेक रूढ़ियों एवं कुरितीयों का शिकार होना पड़ा है ।

द्रोपती को कुंती के निर्देश पर बहु विवाह करना पड़ा । इन सब मानसिक पतनों के बावजूद भारत वर्ष के विभिन्न लेखकों ने उसे अलग–अलग साँचों में डालकर परिभाषित किया । परन्तु यह निर्विवाद तथ्य है कि नारी का अपमान हुआ । वह तिरस्कृत हुई और कोई भी उसके अपमान व तिरस्कार का विरोध करने वाला नहीं था । हर किसी ने धर्म की दुहाई देकर अपने हिसाब से उसका उपयोग किया। एक अलग पहल भी हमारे सामने शास्त्रों में महिला के महिमा मंडन का मौजूद है । उसकी बुद्धिमता, ममता, उसकी सामर्थता का भी बखान किया गया है ।

मानव सभ्यता हमैशा से पुत्री के जन्म को चिंता का विषय मानता आया है और शादी के समय वधू को यही आर्शीवाद बरसाए जाते थे कि उसे पुत्र हो। एक पाम्परिक भारतीय परिवार का पक्षपातीपूर्ण रवैया सदैव से पुत्र के पक्ष में जूनून की तरह रहा है और यह सबकुछ धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारकों पर ही आधारित था । धारणा यह थी कि एक स्त्री जिसे पुत्र न हो वह स्वर्ग की भागी नहीं होगी । एक पुरूष को भी इसी तरह का अभिशाप प्राप्त था । पुत्र को पित्रों का उद्धार करने वाला माना गया था और पुत्री को संकट का मूल समझा जाता था । महाभारत में उल्लेख है कि पुत्री आपत्ति थी और वह अपने माता–पिता और पति तीनों के कूलों के लिए संकट थी।

आत्मा पुत्रः सखाभार्या कृच्छं हिदुहिता, किल
कुलमयं संशमितं कुरूते कन्या का सतात् ।।
इससे महिलाओं की हीन दशा का संकेत प्राप्त होता है ।

एक बालिका में भी माता–पिता का उतना ही अंश होता है जितना कि बालक में । बालिका के भ्रूण में उतनी जान होती है जितनी कि लड़के के भ्रूण में । निरपक्ष बालिका या नारी की हत्या करने वाले को भी उतना ही दंड मिलता है, जितना निरपराध बालक या पुरूष की हत्या करने वाले को । नारी तो सृष्टि की जननी व पुरूष की प्रेरणा शक्ति है । इतिहास साक्षी है कि नारी ने न केवल अपने को पुरूषों के समकक्ष अपितु उनसे श्रेष्ठ सिद्ध किया है । इन सबके बावजूद भी नारी के लिए कईं सामाजिक कुरीतियाँ, अभिशाप हमारे समाज में मौजूद है । दहेज प्रथा की समस्या ने अब एक और समस्या को जन्म दे दिया है । जिसे वर्तमान समय में सबसे ज्वलंत समस्या के रूप में देखा जा रहा है । दहेज की माँग के चलते अब परिवार वालों ने बेटी को जन्म देना ही बंद करने का इरादा बना लिया है । उनकी सोच यही दर्शाती है कि एक बेटी को जन्म देकर कुछ साल बाद कुछ लाख रूपए खर्च करने से बेहतर है, गर्भधारण के समय लिंग जाँच व भ्रूण हत्या पर कुछ हजार रूपए खर्च कर दिए जाएँ ।

कन्या भ्रूण हत्या घटते लिंग अनुपात का प्रमुख कारण :–

लिंग अनुपात को इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि, प्रति १००० पुरूषों के अनुपात मे स्त्रियों की संख्या कितनी है । इस अनुपात को कभी–कभी १०० में या १० में या फिर १ में भी व्यक्त किया जाता है ।

१९७५ में भारत में भ्रूण के लिंग परीक्षण की प्रविधि आ जाने के बाद यह प्रश्न उठाए गए थे कि क्या इसका इस्तेमाल लड़की को खत्म करने में नहीं किया जाएगा ? और क्या इससे लिंगानुपात नहीं गिरेगा ? शहरी इलाकों की स्त्री संगठनों से जुड़ी महिला नेतृत्व ने इस संबंध में कानून की मांग रखी । लेकिन समाजशास्त्रियों का मानना था कि लिंग परीक्षण से स्त्री–पुरूष अनुपात पर असर नहीं पड़ेगा । हालॉकि १९८१ की जनगणना में काफी अंतर देखा गया, कुछ विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि यह पिछले १०० वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन यूनिसेफ का तर्क था कि १९९१ की जनगणना में स्त्रियों का अनुपात कम होने की वजह मादा भ्रूण हत्या है । साबू जार्ज एवं खबीर दहिया ने बाद में ऐसे जिलों में अध्ययन किया, जहॉ स्त्रियों के अनुपात में गिरावट पाई गयी थी। इसमें कोई संदेह नहीं । भ्रूण लिंग परीक्षण का दुरूपयोग किया जा रहा है ।

भारत में सन् १९०१ में यह अनुपात १००० पुरूषों पर ९७२ महिलाओं का था । जो धीरे–धीरे कम होते हुए (एकाध अपवाद को छोड़कर) सन् २००१ में ९३३ पर पहुॅच गया । वर्ष १९०१ में ९७२, १९११ में ९६४, १९२१ में ९५५, १९३१ में ९५०, १९४१ में ९४५, १९५१ में ९४६, १९६१ में ९४१, १९७१ में ९३०, १९८१ में ९३४, १९९१ में ९२७ तथा २००१ में ९३३ था । इस प्रकार एक शताब्दी (१०० वर्षों में) प्रति हजार पुरूषों पर ३९ महिलाओं की कमी आई । भारत में लिंगानुपात का लगातार गिरना यह ग्राफ इस बात का एक सूचक है कि गर्भ में बच्चीयों को मारा जा रहा है । बेजुबान की हत्या के लिए विज्ञान के नये तरीके प्रयोग में लाये जा रहे हैं । यदि ऐसा न होता तो लिंगानुपात का ग्राफ इतना नहीं गिरता । हालॉकि लिंगानुपात के गिरते ग्राफ का कन्या भ्रूण हत्या की एकमात्र कारण नहीं है । इसके गिरते ग्राफ के अन्य कारण जैसे, शैश्यावस्था, प्रारंभिक बचपन एवं जननकाल में बालिका/महिला की मृत्यु दर का अधिक होना भी जिम्मेदार है ।

देश के विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात भिन्न–भिन्न है और लिंगानुपात के मामले में कुछ राज्यों की स्थिति बहुत खराब है । केरल एक ऐसा राज्य है, जहॉ लिंगानुपात अनुकूल है । अर्थात् स्त्रियों की संख्या पुरूषों से अधिक है अर्थात् (१००० पुरूषों पर १०५८ स्त्रियॉ) है । पुण्डूचेरी एक ऐसा राज्य है जहॉ लिंगानुपात लगभग संतुलित है । अर्थात् स्त्रियों की संख्या पुरूषों के समतुल्य है । (१००० पुरूषों पर १००१ स्त्रियॉ है) अन्य सभी ३३ राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में लिंगानुपात प्रतिकूल है। अर्थात् स्त्रियों की संख्या पुरूषों से कम है । इन ३३ राज्यों में भी ७ राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश पंजाब, हरियाणा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़ और दमन व दीप की स्थिति तो सबसे अधिक खराब हैं। क्योंकि इनमें १०० पुरूष पर महिलाओं की संख्या ८७५ से भी कम है।

पंजाब और हरियाणा का लिंगानुपात तो पूर्वोत्तर के राज्यों (आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के राज्यों) के लिंगानुपात से भी काफी कम है । जहॉ पुर्वोत्तर के मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात (वर्ष २००१)

क्रं.	राज्य/के.शा.प्रदेश	लिंग अनुपात	क्रं.	राज्य/के.शा.प्रदेश	लिंग अनुपात
१.	केरल	१०५८	१९.	राजस्थान	९२२
२.	पुंडुचेरी	१००१	२०.	महाराष्ट्र	९२२
३.	छत्तीसगढ़	९९०	२१.	गुजरात	९२१
४.	तमिलनाडू	९८६	२२.	थ्बहार	९२१

Golden Research Thoughts
Vol -1 , ISSUE –1, July - 2011
ISSN:- 2231-5063

५.	आंध्रप्रदेश	९७८	२३.	मध्यप्रदेश	९२०
६.	मणिपुर	९७८	२४.	नागालैण्ड	९०९
७.	मेधालय	९७५	२५.	अरूणाचल प्रदेश	९०१
८.	उड़ीसा	९७२	२६.	जम्मू और कश्मीर	९००
९.	हिमाचल प्रदेश	९७०	२७.	उत्तरप्रदेश	८९८
१०.	कर्नाटक	९६४	२८.	सिक्किम	९७५
११.	उत्तराखंड	९६४	२९.	प्ंजाब	९७४
१२.	गोवा	९६०	३०.	हरियाणा	८६१
१३.	त्रिपुरा	९५०	३१.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	८४६
१४.	लक्ष्यद्वीप	९४७	३२.	दिल्ली	८२१
१५.	झारखण्ड	९४१	३३.	दादर नगर हवेली	८११
१६.	मिजोरम	९३८	३४.	चंडीगढ़	७७३
१७.	पं. बंगाल	९३४	३५.	दमन एवं दीप	७०९
१८.	असम	९३२			

लिंगानुपात सम्पूर्ण भारत – ९३३

असम, नागालैंड, अरूणाचलप्रदेश राज्यों का लिंगानुपात क्रमशः ९७८, ९७५, ९५०, ९३८, ९३२, ९०९ तथा ९०१ है । वहीं पंजाब और हरियाणा का लिंगानुपात ८७४ तथा ८६१ है । ये दोनों राज्य शिक्षा प्रतिव्यक्ति आय आदि के मामलों में अपेक्षाकृत काफी सम्पन्न हैं । इन राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय भारतीय औसत से करीब ३,०००/– से ५,०००/– रूपए अधिक है । प्रतिव्यक्ति खाद्य की उपलब्धता भारतीय औसत से करीब ३६० से ८०० ग्राम अधिक है और साक्षरता दर भारतीय औसत से करीब ४ से ५ प्रतिशत अधिक है । लेकिन लिंगानुपात भारतीय औसत से काफी कम है ।

हरियाणा में ०.६ आयु वर्ग में लिंगानुपात तो ८२० ही है । वर्ष १९९१ की जनगणना में इस आयुवर्ग का लिंगानुपात ८७९ था । इस प्रकार इस आयु वर्ग के लिंगानुपात में ४१ अंकों की कमी आई है । यह कमी बहुत अधिक है । पंजाब में ०.६ आयु वर्ग के लिंगानुपात तो ७९३ ही है । वर्ष १९९१ की जनगणना में इस आयुवर्ग का लिंगानुपात ८७५ था । इस प्रकार लिंगानुपात में ८२ अंकों की भारी कमी आई है।
– नई दुनिया (लड़का पैदा करने के लिए यौन शोषण) मार्च, २००८

हरियाणा और पंजाब के गिरते लिंगानुपात से कई प्रकार की समस्याऐं पैदा हो रही है । भारत को इन समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ ठोस व कारगर एवं प्रभावी कदम अभी उठाने होंगे ।

कन्या भ्रूण हत्या के कारण

हर समाज, हर धर्म और भारतीय संस्कृति में नारी का महिमा मण्डन किया गया है और भारतीय इतिहास भी कुछ नारी पात्रों के ईर्द–गिर्द घुमता नजर आता है । नारी को पारिवारिक और सामाजिक ढॉचे की छुरी माना जाता है। उसकी भूमिका हटा देने से यह सारा ढॉचा ही भरभराकर गिर सकता है । नारी को शक्ति स्वरूपा की संज्ञा दी जाती है, लेकिन इसे विडंबना और हमारी व्यवस्था का नकारापन ही कहा जाना चाहिए कि, समाज में बेटों की चाह में बेटियों को कोख में ही कत्ल किया जा रहा है और यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है ।

हाल ही केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पेश की गई तस्वीर हाहाकारी और हालात की भयावहता दिखाने के लिए काफी है, जिसमें कहा गया है कि, पिछले १० सालों में देश में एक करोड़ कन्याओं की भ्रूण हत्या हुई है । यह स्थिति रही तो सन् २०५० तक लिंग अनुपात इतना घट्ट जाएगा कि दो करोड़ २० लाख कन्याओं की कमी हो जाएगी ।

देश में कन्या भ्रूण हत्या के लिए प्रख्यात राज्यों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात का नाम सबसे उपर है । इन राज्यों में हर साल लाखों कन्याऐं जन्म लेने से पहले ही मार दी जाती है । संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट कहती है कि, भारत में हर साल साढ़े सात से आठ लाख कन्याओं को पैदा होते ही मार दिया जाता है । संयुक्त राष्ट्र संघ की ही रिपोर्ट कहती है कि, भारत में लिंग अनुपात असंतुलन लगातार बढ़ता जा रहा है । जिसके गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं । ज्यादातर देशों में महिलाओं की संख्या औसतन पुरूषों से ज्यादा होती है, लेकिन भारत में यह काफी कम है । देश का कानून बनाने वाले और निति निर्धारकों की राजधानी दिल्ली का हाल हमारे दिलों को झंझोड़ सकता है। दो साल पहले दिल्ली महानगर पालिका द्वारा सरकार को पेश की गई एक अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कि, देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली में लिंग अनुपात की दर एक हजार लड़कों के मुकाबले ७६२ लड़कीयॉं ही है । देश के कई राज्यों में विवाह के लिए लड़कों को लड़कीयॉं नहीं मिल रही हैं । लड़कीयों को कोख में मार देने का कलंक माथे पर लेकर जी रहे राज्यों में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु भी पीछे नहीं हैं । मध्यप्रदेश में तो भीड़–मुरैना जिले भी कन्या भ्रूण हत्या के मामले में काफी बदनाम है । इन क्षेत्रों में तो यह तक प्रथा है कि, प्रसूता खूद अपनी कन्याओं को मौत की नींद सुला देती है । मध्यप्रदेश का लिंग अनुपात तो राष्ट्रीय औसत के आस–पास है, लेकिन भिण्ड–मुरैना में यह अनुपात प्रति हजार लड़कों पर ३८५ लड़कीयों तक दर्ज किया जाता है । यहॉं सभी भ्रूण हत्याऐं बहुत ही दर्दनाक तरीके अपना कर की जाती है । इन सबके पीछे कारण लड़के की चाहत और लड़की को समाज में दुसरे दर्जे का स्थान दिया जाना है । कन्या भ्रूण हत्या की पीछे कईं परिस्थितियॉं या कारण विद्यमान थे, जिनके चलते कन्या भ्रूण हत्या करने का सिलसिला लगातार जारी है । फिर भी इसके प्रमुख कारण अग्रलिखित हो सकते हैं

१ .प्राकृतिक कारण

कईं कन्या भ्रूण हत्याऐं इसलिये की जाती हैं कि या तो महिला में या होने वाले बच्चे में किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं । गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम १९७१ इन प्राकृतिक कारणों से होने वाली भ्रूण हत्याओं को न्यायोचित दहशत है । इस अधिनियम के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३१२ में दण्डनीय गर्भपात तब दण्डनीय नहीं है, जबकि वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी पंजीकृत चिकित्सक से करवाया जाता है।

१)गर्भ का समापन गर्भधारण के १२ सप्ताह की अवधि में किया जाता है ।

२) यदि गर्भ समापन गर्भधारण के १२ सप्ताहों से अधिक और २० सप्ताहों से कम पर दो पंजीकृत चिकित्सकों की सद्भावनापूर्वक राय के बाद किया जाता है और राय यह हो कि, गर्भ अवस्था जारी रखने पर महिला के जीवन को खतरा हो सकता है, उसे गंभीर शारीरिक चोट पहुँच सकती है।

३)यदि चिकित्सकों की यह राय हो कि, यदि बच्चा जन्म लेगा तो वह किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यतः या विकलांगता का शिकार हो सकता है तो ऐसा गर्भ रजिस्ट्री चिकित्सा व्यवसाय द्वारा समाप्त किया जा सकेगा ।

यदि किसी महिला ने अपने गर्भ के बारे में यह अभिकथन किया है कि, वह बलात्कार द्वारा गर्भवती हुई है और ऐसे गर्भ के कारण होने वाले मानसिक संताप के बारे में यह उपधारणा की जायेगी कि वह गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर क्षति है ।

जहॉं किसी विवाहित स्त्री या उसके पति द्वारा बच्चों की संख्या सीमित रखने के प्रयोजन से उपयोग में लाई गयी किसी प्रयुक्ति या व्यवस्था के या असफलता के फलस्वरूप गर्भ हो जाए, वहॉं

ऐसे अवांछित गर्भ के कारण होने वाले मानसिक संताप के बारे में यह उपधारा की जा सकेगी कि, वह गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर क्षति है ।

यदि किसी स्त्री ने जो १८ वर्ष से कम आयु की हो अथवा जिसने १८ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, लेकिन पागल हो, उसके संरक्षक की लिखित सहमति से ही गर्भ समाप्त किया जा सकेगा अन्यथा नहीं । उपरोक्त के अलावा गर्भपात नहीं कराया जा सकेगा और इस प्रकार का गर्भपात प्राकृतिक कारणों से होने वाला गर्भपात कहलाता है जो किसी भी प्रकार का अपराध घटित नहीं करता। इस प्रकार के गर्भपातों में कभी–कभी अंजाने में ही कन्या भ्रूण हत्या का और भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होगा ।

कईं भ्रूण हत्याओं और गर्भपात के मामलों को गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, १९७१ के प्रावधानों के अंतर्गत दर्शाकर कन्या भ्रूण हत्याओं को प्राकृतिक कारणों से की गयी हत्याओं का नाम दे दिया जाता है ।

इस अधिनियम की आड़ में आज भी कईं कन्या भ्रूण हत्याऐं न्यायोचित बना दी जाती हैं । इन हत्याओं में निरिक्षर महिलाऐं कम और शिक्षित महिलाऐं अधिकांश होती हैं । कई महिलाऐं तो ऐसी होती हैं जो स्नानोकोत्तर तक शिक्षित हैं तथा उच्चशिक्षित महिलाओं में कन्या भ्रूण हत्या को बार–बार करवाने की प्रवृत्ति अधिक पायी गयी है । एकल परिवार भी कन्य भ्रूण हत्या को करवाने में अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं । कई बार दम्पत्ति अपने बड़ों के साथ न रहने के कारण तथा उन्हें अपने परिवार में हस्तक्षेप न करने की सलाह देकर भी यह काम करवाते हैं ।

२.सामाजिक कारण

मनुष्य चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, समाज में अवश्य रहता है । पारस्परिक सहयोग के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती । पारस्परिक सहयोग मनुष्य को समाज में रहकर ही प्राप्त हो सकता है । समाज को परिभाषित करते हुए मेकाईवर एवं पेज ने लिखा है –

‘‘समान रितियों, कार्यविधियों, अधिकार व सामाजिक सहायता अनेक समूह तथा उनके विभाजनों, मानव व्यवहार के नियत्रणे तथा स्वतंत्राओं की व्यवस्था है । ये सदैव परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं । यह सामाजिक संबंधों का जाल है और सदैव परिवर्तित होता रहता है ।‘‘ [१]

इस प्रकार समाज सदैव परिवर्तनशील होने वाली प्रक्रिया है । उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि समाज के प्रमुख आधारों में रितियॉं कार्यप्रणाली, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, समूह तथा विभाग मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रता प्रमुख है । इन आधारों का समाज में होना आवश्यक है तथा यह सदैव परिवर्तित होते रहते हैं ।

‘‘समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं है अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न हैं ।‘‘ [२]

इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि, विभिन्न समाजों में एक दूसरे से पृथक करने का आधार उनके सामाजिक संबंधों की भिन्नता ही है । साथ ही यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि, समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि उनके बीच पाये जाने वाले संबंधों की व्यवस्था है ।

परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो सम्पूर्ण समाज को सामाजिकरण के द्वारा श्रेष्ठ नागरिक प्रदान करती है । व्यक्ति को जन्म, भावनात्मक सुरक्षा, संरक्षण और जीवन के प्रति आशा और मनोबल प्रदान करती है । परिवार एक निदेशक के रूप में व्यक्ति और फलतः सारे समाज के व्यक्तित्व को आकार प्रदान करता है । यदि परिवार विघटित होने लगे तो सारा समाज विघटन के कगार पर पहुॅंच जाता है ।

परिवार एक मौलिक सार्वभौमिक संस्था है । परिवार के आधार पर समाज का ढॉचा बना हुआ है । परिवार ही समाज का प्रारम्भिक गृह है । मनुष्य
जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त किसी न किसी परिवार का सदस्य बना रहता है । बच्चा परिवार में जन्म लेता है और स्वाभाविक रूप से परिवार का प्रभाव व्यक्ति एवं उसके भविष्य को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है । परिवार सार्वभौमिक है, जो हर स्थान, समय एवं समाज में पाया जाता है ।

संयुक्त परिवार भारतीय परिवार का आदर्श रहा है, भारत संयुक्त परिवार का घर है, भारत में संयुक्त परिवार प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं । यह बात अलग है कि, आज के बढ़ते औद्योगिकरण एवं नगरीयकरण, आवागमन के साधनों का विकास एवं व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के कारण संयुक्त परिवार की संख्या में कमी आई है और व्यक्तियों का आकर्षण एकांकी परिवार की ओर अधिक बढ़ा है । एकांकी परिवार में महिलाओं को उचित सम्मान संयुक्त परिवार की अपेक्षा अधिक मिलता है । आज महिलाऐं शिक्षित होकर जागरूक हो गई है । वे अपने अधिकारों के बारे में भलीभॉंति जानती है । ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों की महिलाऐं अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित होती है । नगरीय सभ्यता में महिला क्लबों, महिला संगठनों के सम्पर्क में आने से भी उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है । आजकल महिलाऐं आर्थिक क्षेत्र में भी अपना योगदान प्रदान कर रही है । आज के बदलते परिवेश में परिवार में आर्थिक आधार पर भी सम्मान प्राप्त होता है ।

इन सबके बावजूद भी अधिकांश महिलाओं का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है । दुखी वैवाहिक जीवन के कई कारण सामने आए हैं । जैसे पति का खराब स्वभाव, आर्थिक असंतोष, सास–ननद द्वारा ताना देना, संतानों को लेकर कलह, पुत्र का न होना, प्रथम पुत्र नहीं है आदि ।

पुत्री प्राप्ति के कारण अधिकांश परिवारों में मनमुटाव होता है । पुत्र पैदा न करने पर बहु को सास, ननद द्वारा ताने दिये जाते हैं । उसे बेटा न पैदा करने पर तलाक तक दे दिया जाता है । बड़े शहरों की अपेक्षा कस्बों, छोटे शहरों में यह प्रवृत्ति ज्यादा है । ग्रामीण क्षेत्रों में तो औरत का रूतबा बढ़ता ही बेटे के जन्म के बाद है । इसलिए आज भी, एक सर्वेक्षण के अनुसार ८८ प्रतिशत महिलाऐं चाहती हैं कि, उनका एक बेटा जरूर हो । हालॉंकि १२ प्रतिशत बेटियॉं भी चाहती है । वे कन्यादान का पुण्य प्राप्त करना चाहती है ।

पिछले दशक में बालकों के मुकाबले बालिका के अनुपात में कमी में मुख्य कारण छोटे परिवार में बेटे का जन्म जरूरी हो गया है और उसके लिए बेटी की बली भी उतनी ही जरूरी हो गई है । बेटी को मॉं–बाप के परिवार का हिस्सा न मानने वाले मॉं–बाप के कर्मकांड करने का अधिकार न देने वाले इस समाज में पढ़ी लिखी औरतें भी एक बेटे को जन्म देने के लिए एक या कई कई बेटियों की बली देने के विरोध करने का साहस नहीं कर पाती । बेटा न होने पर उन्हें ससुराल में उपेक्षा, छोड़े जाने या तलाक का भय सताता है ।

३.आर्थिक कारण

आज के इस भौतिकवादी युग में बात–बात पर रूपए पैसे लगते हैं और एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर आर्थिक असमानता भी बढ़ती जा रही है । वर्तमान समय के इस भौतिक युग में परिवार के आर्थिक प्रतिमान परिवर्तित हो रहे हैं । आज पैसे को ही सबकुछ माना जा रहा है । इसी के पीछे ही सभी भाग रहे हैं । परम्परागत परिवारों में जहॉं परिवार का मुखिया धन अर्जन का कार्य करता था, वहीं आज के परिवारों में परिवार के लगभग सभी सदस्य धनोपार्जन के कार्य में लगे रहते हैं । इन सदस्यों में महिलाऐं भी शामिल हैं। वे महिलाऐं जो कभी पूर्ण रूप से घर परिवार का दायित्व संभालती थी, गृह लक्ष्मी कही जाती थी, वे ही महिलाऐं आज पुरूषों की समकक्ष सभी प्रकार के कार्यो को पूर्ण कर रही है । निश्चित ही इन महिलाओं को कार्यरत रहने पर भी सर्वप्रथम अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाहन करना होता है

और उसके पश्चात् अपनी आर्थिक क्रियाओं को संपादित करना होता है । पारिवारिक दायित्वों में सबसे बड़ा दायित्व बच्चों का पालन पोषण होता है । जितने ज्यादा बच्चे होंगे, उतनी ज्यादा जिम्मेदारी होगी । अतः परिवार में महिला एवं पुरूष ने आर्थिक समस्या से निपटने के लिए छोटे परिवार या एक या दो बच्चों के परिवार को ही प्राथमिकता दी है और यह चाहते हैं, इन दो बच्चों में से एक तो लड़का अवश्य ही हो और इसी धारणा के चलते गर्भ में लड़की होना पता चलते ही उसकी हत्या करवाना आम बात हो गई है तथा लोगों में यह जागृति आई कि, एक बेटी को जन्म देकर कुछ साल बाद कुछ एक लाख रूपए खर्च करने से बेहतर है, गर्भधारण के समय ही लिंग जॉच और भ्रूण गिराने पर कुछ हजार रूपए खर्च कर दिये जायें । इसी चेतना के कारण गर्भधारण के २० सप्ताह बाद ही गर्भ से शिशु की लिंग जॉच और भ्रूण हत्या जारी है, जो गैरकानूनी है ।

कन्या के साथ जुड़े ''दान'' और ''दहेज'' में इस समस्या को ओर अधिक बढ़ाने में मदद की है । उपभोक्तावाद के साथ साथ में साइकल की जगह मोटरसाइकल, कार रेडियो की जगह टीवी फ्रीज और शगुन के सवा रूपए की जगह सवा लाख ने ले ली है । दो दशक से इस देश में दहेज कानून होने के बावजूद सामाजिक मान्यता के कारण दहेज की जड़े पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है।

दहेज के मामले में तो समाज में दोहरे मापदंड है । दहेज देते समय ''सामाजिक बुराई'' के रूप में सामने आता है और लेते समय ''सामाजिक प्रतिष्ठा'' का प्रतीक बन जाता है ।

हाल ही में ''राजस्थान पत्रिका'' द्वारा जयपुर शहर में किये गये सर्वेषण में यह तथ्य सामने आये हैं । सर्वेषण के अनुसार ८५ प्रतिशत युवकों ने माना कि, दहेज एक सामाजिक बुराई है, लेकिन इन्हीं में से ६२ प्रतिशत युवकों ने दहेज लेने के नाम पर कोई विरोध नहीं दिखाया । ६० प्रतिशत पुरूषों की नजर में दहेज सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुका है ।

यह सर्वेषण सिर्फ एक शहर का नजरिया सामने नहीं रखता, बल्कि हमारे देश के किसी भी शहर का नजरिया हो सकता है । [१]

लड़कियों की गर्भ में हत्या करने का एक प्रमुख कारण शादी के समय होने वाला खर्च एवं दहेज की मांग है । दहेज की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, किन्तु पूर्वकाल में दहेज का दिया जाना, दाता की इच्छा पर निर्भर करता था। वास्तव में पिता अपनी पुत्री व दामाद को श्रद्धास्वरूप विवाह के समय जो उपहार प्रदान करता था, उसे दहेज का नाम दिया जाता था । अगर हम दहेज संबंधी एतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करें तो स्पष्ट होगा कि, तमाम राजाओं ने विवाह में अपने राज्यों को भेंट में दिया है । पूर्वकाल की एक भी ऐसी घटना इतिहास में जगह नहीं पा सकी कि, किसी पति या उसके परिवार वालों ने अपनी पत्नी या बहू के प्रति दहेज न मिलने के कारण क्रूरता की हो । यद्यपि हिन्दू समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन था, किन्तु मुस्लिम समाज में दहेज पति प्राप्त नहीं करता था, अपितु वह पत्नि के प्रति श्रद्धास्वरूप दहेज भेंट करता था, जहॉ हिन्दू समाज में पुत्री के परिवार के लोग पुत्री के पति के परिवार का कोई सामान अपने उपयोग में नहीं ला सकते थे, वहीं मुस्लिम समाज में पुत्री के पति पुत्री के परिवार को मेहर की राशि प्रदान करते थे । यद्यपि मेहर की इस सम्पत्ति का प्रयोग करने के लिए पुत्री ही अधिकृत होती थी ।

यद्यपि शिक्षा की दृष्टि से समाज में उत्तरोत्तर विकास हुआ, किन्तु उसी प्रकार दहेज विकृत स्वरूप धारण करता चला गया । वर्तमान समय में हिन्दू हो या मुस्लिम, यद्यपि अनेक कुरीतियों से मुक्त हुआ, फिर भी दहेज की पाश्विकता में जकड़ता गया । इस कुप्रथा के चलते समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों ने लड़कीयों को न पैदा करने में ही अपनी भलाई समझी । यह इसलिए भी कई लड़कियॉ दहेज के कारण या तो मनचाहा वर नहीं पा सकी या दहेज बलीवेदी पर भेंट जाती है । दहेज हत्याओं को आत्महत्या का नाम देकर ससुराल वाले छुट जाते हैं ।

यद्यपि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज अपराध को कम करने में आंशिक रूप में भले ही सफल रहा हो, किन्तु समाज पर इसका कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा है ।

स्पष्ट है कि, दहेज की समस्या आज एक विकराल रूप से हमारे सामने है । इस समस्या के कारण लड़कीयों के माता–पिता आज भी चिन्तित रहते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि, लड़की को जन्म ही क्यों दिया जाए ?

४.आधुनिक कारण :–

भ्रूण परीक्षण कराना एवं कन्या की भ्रूण हत्या करना आज के समय में उस महिला एवं उसके परिवार की सोच को इंगित करता है । सामान्यतः भ्रूण परीक्षण किसी शारीरिक विषमता के रहते नहीं वरन् गर्भस्थ शिशु के लिंग के बारे में समय से पूर्व जानकारी हासिल कराने के ध्येय से किया जाता है ।

तमाम आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक प्रगति और हर कदम पर स्त्री की भागीदारी के बावजूद स्त्री की मूल लड़ाई वहीं की वहीं है । समाज में अपने वर्चस्व की लड़ाई जन्म का मामला हो, पढ़ाई–लिखाई, घरेलू या साधारण कामकाजी औरत या किसी वरिष्ठ सरकारी पद और सांसद, विधान सभा को सुशोभित कर रही विशिष्ट महिलाओं का हर जगह हर स्तर पर स्त्री के प्रति दोहरे व्यवहार के मुख्य कारण वहीं हैं, जो कई वर्षों पूर्व थे ।

हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पेश की गयी तस्वीर हाहाकारी और हालात की भयावहता दिखाने के लिए काफी है, जिसमें कहा गया है कि, पिछले १० सालों में देश में १ करोड़ कन्याओं की भ्रूण हत्या हुई । यही स्थिति रही तो सन् २०५० तक लिंग अनुपात इतना घर जाएगा कि, २ करोड़ २० लाख कन्याओं की कमी हो जाएगी ।

हमने कभी सोचा भी नहीं था कि, विज्ञान एवं तकनीकी के विकास को हम अच्छी आबादी को खत्म करने के एक सशक्त हथियार के रूप में काम लाऐंगे और मॉं की कोख को ही कन्या भ्रूण की कब्र बना देंगे । गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, १९७१ को लागू करने के पीछे विधायिका का जो उद्धेश्य था, उसी से भटक जाऐंगे । इस अधिनियम के द्वारा गर्भपात को न्यायोचित बनाया जा सकेगा । इस अधिनियम को लागू करने का संसद का उद्धेश्य, ऐसे पंजीकृत चिकित्सक जिनकी यह राय हो कि, गर्भपात कराना इसलिए आवश्यक है कि, यदि गर्भ नहीं गिराया गया तो वह महिला के स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुँचाएगा या गर्भ में पल रहे शिशु को यदि जन्म दिया जाता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता (Abnormality) का शिकार होगा कि, वह गम्भीर रूप से विकलांग हो जाए और यदि गर्भ बलात्कार का परिणाम है तो यह माना जाएगा कि, उससे गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा है या यदि गर्भधान को रोकने के लिए प्रयोग में लाए गए साधनों की असफलता का परिणाम है तो भी गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य को गम्भीर माना जाएगा एवं गर्भपात करवाया जा सकेगा अर्थात् इस अधिनियम का मुख्य उद्धेश्य गर्भवती स्त्री को ऐसे गर्भधान के कारण हुई शारीरिक व मानसिक क्षति से संरक्षण प्रदान करना है ।

परन्तु गर्भ का चिकित्सकीय अधिनियम १९७१ का प्रयोग सबसे ज्यादा कन्याओं की भ्रूण हत्या करने में किया जा रहा है । इसके साथ ही कई और ऐसे आधुनिक कारण हैं, जो कन्या भ्रूण हत्या में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। जैसे कि,

- स्त्री पुरूष गैर बराबरी (असमानता)
- स्त्री के अधिकार को नकारने की पुरूष की प्रवृत्ति
- स्त्री की क्षमता पर संदेह
- छोटे परिवार की विचारधारा का विकास
- दहेज प्रथा
- लड़के की इच्छा

- पुत्री को पराया धन मानना
- असुरक्षा की भावना
- कानून लागू करने वाली एजेन्सीयों की निष्क्रियता
- आनुवांशिक क्लिनिकों का विकास
- आनुवांशिक तकनीकों का विकास

५. अल्ट्रासाउंड तकनीक :–

भारत वैज्ञानिक एवं तकनीकि विकास में विश्व में किसी भी मामले में कम नहीं है । आज भारत ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्रों में निरन्तर नए प्रयोग करते हुए आगे बढ़ रहा है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि, पिछले दशकों में भारत ने बेहद प्रगति की है । कभी बादल के गरजने से डरने और सूरज के डूबने और निकलने तक के बारे में कुछ नहीं जान पाने और जानवरों को मारकर खाने या जंगलों में पेड़–पौधों पर उसे फलों और फूलों को खाकर जीवन यापन करने वाला मानव जीवन में बहुत आगे बढ़ गया है । उस समय गर्मी सर्दी का मुकाबला नहीं कर पाने के कारण पृथ्वी पर से मिट जाने वाला मानव आज अपने घरों में हर प्रकार की सुविधाओं का विकास कर पाने में सफल हो चुका है ।

विकास के रास्ते में मनुष्य ने अपने स्वभाव के अनुरूप विज्ञान का उपयोग और दुरूपयोग दोनों किया । परमाणू उर्जा का उपयोग करके उसने जहॉ बिजली का उत्पादन किया और गंभीर बीमारियों के इलाज के तरीके ढूँढे वहीं खतरनाक हथियारों का जखीरा तैयार कर डाला । सूचना प्रोद्योगिकी, बॉयो टेक्नालॉजी जेनेटि इंजीनियरिंग और विज्ञान की नई तकनीकों में मानव के प्रकृति की चुनौतियों के दायरे और बढ़ा दिए हैं ।

इन्हीं तकनीकों के विकास में एक नयी तकनीक कुछ वर्षों मे बहुत अधिक इस्तेमाल की गयी है, जिसका नाम अल्ट्रासाउंड तकनीक या ‘‘एमनियोसेन्टेसिस” ” (Amniocentesis)” या शिशु भ्रूण परीक्षण तकनीक या सामान्य बोलचाल में लोग इसे सोनोग्राफी से भ्रूण परीक्षण जॉच भी कहते हैं । यह एक ऐसी परीक्षण विधि है, जिसमें एम्नियोटिक द्रव का नमूना, एक सुई को गर्भाशय में प्रवेश कराकर किया जाता है, जिसका उद्धेश्य गर्भस्थ शिशु का लिंग ;उंसम वत मिउंसमद्ध जानने अथवा उसके विकास की स्थिति जानने के लिए किया जाता है । ऐसा परीक्षण गर्भधारण के १६ सप्ताहों की अवधि में किया जाता है ।

वर्तमान समय में ‘‘अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफीष तकनीक का सारे विश्व में प्रचलन तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है । इस पद्धति के द्वारा महिला के भ्रूण के बारे में सम्पूर्ण जानकारियॉ प्राप्त की जा सकती हैं । जैसे – जन्म के पूर्व बच्चे का स्वरूप, बच्चे का स्वास्थ्य, गर्भस्थ मॉ के स्वास्थ्य आदि के बारे में इस विधि से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जहॉ चिकित्सकीय विज्ञान की दृष्टि से भ्रूण परीक्षण के कारण गर्भ में स्थित बच्चे एवं गर्भस्थ माता के स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है या नहीं को देखना होता है वहीं दूसरी ओर माता–पिता एवं परिवार के सदस्यों का दृष्टिकोण गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता लगाना होता है ।

उपरोक्त दोनों कारणों में से यदि कोई सा भी कारण भ्रूण परीक्षण में पाया जाता है तो चिकित्सा विज्ञानी एवं माता पिता द्वारा भ्रूण हत्या करवा दी जाती है ।

गर्भधारण के १६ सप्ताह बाद गर्भजल (एमीनियोटिव) में बच्चे के क्रीमोजोम विकसित होने लगते हैं । लड़का अथवा लड़की का पता गर्भजल में विकसित क्रोमोजोम के द्वारा लगता है । १६ सप्ताह के पूर्व गर्भाशय में गर्भजल की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है । यह कार्य स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक करता है । परीक्षण के पूर्व अल्ट्रासाउंड की जाती है और महिला को लोकल एनस्थिसिया दिया जाता है । आर.एस. निगेटिव ग्रुप की महिलाओं के साथ सतर्कता बरती जाती है, क्योंकि उन्हें

विशेष प्रकार का संक्रमण हो सकता है, जिसका अगले जन्म लेने वाले शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है । इसलिए इस परीक्षण के पूर्व उन्हें १०० माइक्रोग्राम एन.टी.डी. वाला ग्लोबिन दिया जाता है ।

एमनियोसेंटेसिस परीक्षण के लिए गर्भ से सीरिज द्वारा एमनियोटिव द्रव्य निकाला जाता है । इस द्रव्य की मात्रा १० से १५ धन सी.एम. तक निकाली जाती है । इतनी कम मात्रा में द्रव्य निकालने से मॉ और गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर प्रायः कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है । लेकिन एमनियोटिव द्रव्य (गर्भजल) लेते समय कभी–कभी गर्भपात भी हो सकता है और बच्चे को संक्रामक सेप्टीसीमिया भी हो सकता है, जिसके कारण सम्पूर्ण शरीर में जहर फैल सकता है। आर.एच. नेगेटिव ग्रुप की महिलाओं के लिए खतरा और भी अधिक रहता है ।

प्रयोगशाला में गर्भजल से कौशिकाओं को अलग करके सुक्ष्मदर्शी द्वारा क्रोमोजोम की संरचना की जॉच की जाती है । क्रोमोजेाम की संख्या ४६ होती है जो २३ जोड़ों के रूप में होते हैं, इनमें से २२ जोड़े लड़का और लड़की में समान रूप से होते हैं । शेष एक जोड़ा ही इनके अन्तर को स्थापित करता है । एमनियोसेंटेसिस में लड़का अथवा लड़की का पता लगाने के लिए इसी एक जोड़े का अध्ययन किया जाता है और क्रोमोजोम का मेल लड़के के जन्म के कारण बनता है । इस तरह गर्भस्थ शिशु के लिंग का निर्धारण होता है । एमनियोसेंटेसिस में क्रोमोजोम की संरचना के अतिरिक्त एन्जाइम संबंधी विकृतियों की भी जॉच की जाती है । जिससे गर्भस्थ शिशु में कई घातक रोगों का पता लगाया जा सकता है और उनकी चिकित्सा की जाती है ।

अल्ट्रासाउंड तकनीक से एमनियासेंटेसिस परीक्षण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके परिणाम शत–प्रतिशत सही निकलते हैं चाहे वह परीक्षण गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण के लिए किया गया हो अथवा किसी विकृति की जॉच के लिए किया गया हो ।

भारत में कन्या भ्रूण की समस्या में एक गम्भीर स्वरूप ले लिया है । भारत सरकार ने कानून बनाकर इसे अपराध का दर्जा तो दिया है, लेकिन फिर भी यह अपराध जारी है, देश में ऐसे पतित डॉक्टरों की कमी नहीं है जो पैसे लेकर हर कानून को चुनौती देने के लिए तैयार हैं । यही नहीं अब आधुनिक अल्ट्रासाउंड तकनीक भी इनका साथ दे रही है ।

वर्तमान समय में निजी नर्सिंग होम कोख में लड़कीयों को मार डालने वाले कारखाने बनाकर उभरे हैं और अल्ट्रासाउंड सेंटर उनके सहयोगी केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आंकड़ों को सच माने तो देश में ५० हजार ऐसे क्लिनिक हैं जो भ्रूण परीक्षण करने के लिए रजिस्टर्ड हैं, तमिलनाडू के बारे में ही एक मीडिया रिपोर्ट में सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि २३७६ रजिस्टर्ड स्केन सेंटर अकेले तमिलनाडू में है चैन्नई के ही २६ अल्ट्रासाउंड सेंटर के पिछले दिनों अचानक सर्वे में यह तथ्य सामने आया । एक सेंटर को छोड़कर कहीं भी अल्ट्रासाउंड से पहले भरवाए जाने वाले जरूरी फार्म तक नहीं थे । जाहिर है भ्रूण हत्या का सारा कारोबार अंधेरे में प्रशासन तंत्र की जानकारी मे चल रहा है । गर्भपात के धंधे ने अब तक एक उद्योग का रूप ले लिया है, जिसकी निगरानी के लिए केन्द्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के स्तर तक कोई पुख्ता व्यवस्थाऐं नहीं हैं । [१]

दरअसल, महानगरों से लेकर कस्बों तक फल–फूल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों में कुछ और होता है यानी तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भ्रूण परीक्षण होता है। शायद ही एकाध सेंटर ऐसा होता होगा, जहॉ भ्रूण परीक्षण न होता हो । इसके बावजूद सरकार ने दिसम्बर, २००७ में अल्ट्रासाउंड मशीनों को जीवनरक्षक मानते हुए इन पर रोक से इंकार कर दिया है ।[२]

- २०११ जनगणना – जनगणना ब्यूरो, भारत सरकार लाडली योजना २००८, भारत सरकार दिल्ली
- पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम १९९७ (PCPNDT) संशोधन २००३
- भारत में शिशु लिंग अनुपात भारत की जनगणना के आंकड़े २०११
- UNICEF INDIA
- मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग पत्रिका
- दैनिक भास्कर ०६/१२/२००७
- स्त्रोत (महाभारत आदिवर्ष १५६ – १
- महाभारत ५–६७–१५ १६
- सेन्सस ऑफ इंडिया २००१,
- प्राविजनल पॉपुलेशन टोटल्स पेपर – ऑफ २००१)
- मेकाईवर एवं पेज समाजशास्त्र १९५६ पृष्ठ
- समाजशास्त्र, पृष्ठ ४६
- नई दुनिया (लड़का पैदा करने के लिए यौन शोषण) मार्च, २००८
- मनोरमा ईयर बुक २००२ पृष्ठ १८